Comment regarding relaxation in Rule 384

माननीय अध्यक्ष**:** माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति एक साथ समवेत दोनों सभाओं को संबोधित करते हैं । राष्ट्रपति के अभिभाषण में दोनों सभाओं के सभी सदस्य बिना किसी कठिनाई के उपस्थित हो सकें, इसलिए मैं सभा की ओर से लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 384 में छूट देते हुए इस कक्ष का उपयोग राष्ट्रपति के अभिभाषण के स्थान के रूप में करने के प्रस्ताव पर सहमत हूं । मैं आशा करता हूं कि सभा इससे सहमत होगी ।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां ।

12.39 hrs